


- (iii) वे विहाड़ी मजदूर, जिन्होंने 6 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन साल अथवा इससे अधिक सालों में हर साल कम से कम 240 दिन (पांच कार्य-दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 वर्ष या अधिक वर्षों हेतु हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, वे इस उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के पात्र होंगे। उन्हें देय उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) रुपए 1200 X 30/30.4 अर्थात् 1184.21/- रुपए (1184/- रुपए पूर्णांकित) होगा। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियां 1200/- रुपए प्रतिमाह से कम हैं, वहां इस राशि का परिकलन वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर किया जाएगा।
- (iv) इन आदेशों के अंतर्गत सभी अदायगियां रुपए के निकटतम पूर्णांक में की जाएंगी।
- (v) इस मंत्रालय के समय-समय पर यथा-संशोधित, दिनांक 4.10.1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.14(10)-संस्था-समन्वय/88 के द्वारा जारी स्पष्टीकरण आदेश लागू होंगे।
3. इस पर होने वाला खर्च उन संबंधित शीर्षों के नामे डाला जाएगा जिनमें इन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते नामे डाले जाते हैं।
4. उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) पर होने वाला व्यय संबंधित मंत्रालयों/विभागों के चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर ही किया जाना है।
5. जहां तक, भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों पर इनके लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।


(रंजु जैन)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची आदि के अनुसार।

प्रतिलिपि (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक सूची के अनुसार प्रेषित।